मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2010—आषाढ़ 4, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. ई-5-348-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजन एस. कटोच, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन विभाग को दिनांक 14 से 26 जून 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 27 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. राजन एस. कटोच की अवकाश की अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, गृह, परिवहन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजन एस. कटोच को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. राजन एस. कटोच द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी, गृह, परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजन एस. कटोच को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजन एस. कटोच अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-267-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती आई. एम. चहल, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 25 से 31 मई 2010 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आई. एम. चहल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती आई. एम. चहल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आई. एम. चहल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-809-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री महेन्द्र ज्ञानी, आयएएस., कलेक्टर, जिला मन्दसौर को दिनांक 23 जून से 1 जुलाई 2010 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री महेन्द्र ज्ञानी की अवकाश की अवधि में डॉ. अशोक कुमार भार्गव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मन्दसौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मन्दसौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र ज्ञानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मन्दसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री महेन्द्र ज्ञानी द्वारा कलेक्टर जिला मन्दसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर, जिला मन्दसौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री महेन्द्र ज्ञानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेन्द्र ज्ञानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 21 से 30 जून 2010 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश की अवधि में श्री अनूप सिंह, अपर कलेक्टर, जिला शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनूप सिंह, कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-415-आयएएस-लीव-एक-5.—श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 द्वारा दिनांक 15 से 30 जून 2010 तक सोलह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया हैं. उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन विभाग एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का प्रभार सौंपा जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2010

क्र. ई-1-235-2010-एक-5.—श्री अरूण कोचर, भाप्रसे (1994), आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश तथा संचालक, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-5-498-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस., श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 14 से 26 जून 2010 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 27 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रमोद कुमार दास की अवकाश की अवधि में श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रमोद कुमार दास द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-160-आयएएस-लीव-5-एक.---(1) श्री दिलीप मेहरा, आयएएस., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 31 मई से 14 जून 2010 तक, पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री दिलीप मेहरा की अवकाश की अवधि में श्री एस.सी. बर्धन, आयएएस., प्रशासकीय, सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप मेहरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दिलीप मेहरा द्वारा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस.सी. बर्धन, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री दिलीप मेहरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप मेहरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-194-2010-5-एक.---इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मई 2010 जिसके द्वारा श्रीमती रजनी उइके, भाप्रसे (1999), उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2010

क्र. ई-5-267-आयएएस-लीव-5-एक.---(1) श्रीमती आई. एम. चहल, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 22 से 30 जून 2010 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती आई. एम. चहल की अवकाश की अवधि में श्री सत्यप्रकाश, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आई. एम. चहल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती आई. एम. चहल द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सत्यप्रकाश, ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती आई. एम. चहल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आई. एम. चहल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-732-आयएएस-लीव-5-एक.---(1) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस., कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 जून 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश की अवधि में श्री आर.के. जैन, अपर कलेक्टर, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर.के. जैन, कलेक्टर, जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-240-2010-5-एक.—श्री व्ही.सी. सेमवाल, भाप्रसे (1985), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई-1-236-2010-5-एक.—श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे (1994) संचालक, उद्यानिकी-सह-मिशन संचालक, उद्यानिकी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के दिनांक 25 मई 2010 से 7 जुलाई 2010 तक एक्स इंडिया अर्जित अवकाश पर होने के फलस्वरूप उनकी उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल श्रीवास्तव, भाप्रसे (1985) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री अनिल श्रीवास्तव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सतीश चंद्र मिश्रा, भाप्रसे (1991), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को पूर्व में श्रीमती रश्मि अरूण शमी की अवकाश अवधि में प्रबंध संचाल, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

क्र. ई-5-819-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदार शर्मा, आयएएस., कलेक्टर, जिला खरगौन को दिनांक 14 से 18 जून 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 19, 20 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री केदार शर्मा की अवकाश की अवधि में डॉ. सुदाम पंडरीनाथ खाड़े, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खरगौन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री केदार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री केदार शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला खरगौन का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. सुदाम पडरीनाथ खाडे, कलेक्टर, जिला खरगौन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री केदार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती मधु खरे, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 14 से 18 जून 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 19, 20 जून 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2010

क्र. ई-5-731-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2010 द्वारा दिनांक 10 से 22 मई 2010 तक, 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री शुक्ला द्वारा अवकाश अवधि समाप्ति के पूर्व उपस्थित होने के कारण दिनांक 22 मई 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-684-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अमित राठौर, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2010 द्वारा दिनांक

10 से 14 मई 2010 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-788-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जी. के. सारस्वत, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग को दिनांक 5 से 14 मई 2010 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री जी.के. सारस्वत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी.के. सारस्वत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2010

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी.वी. रश्मि, आयएएस., तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को दिनांक 10 से 14 मई 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती जी.वी. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2010

क्र. एफ. 3-42-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र भू-योजन तथा विद्युत सुरक्षा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	ग्वालियर संभाग	
1	श्री रविन्द्र कुमार मोदी	उप यंत्री

भोपाल, दिनांक 9 जून 2010

क्र. एफ. 3-21-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	ग्वालियर संभाग	
1	श्री उदयभान मांझी	वनक्षेत्रपाल
	सागर संभाग	
1	श्री भूपतसिंह गौड़	वनक्षेत्रपाल

क्र. एफ. 3-22-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र व्यवहारिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
1	श्री ललित शाक्यवार	सहायक पुलिस अधीक्षक
2	श्री गजेन्द्र सिंह कंवर	उप पुलिस अधीक्षक
3	डॉ. शिवेश सिंह बघेल	उप पुलिस अधीक्षक
4	श्री मंजीत सिंह चावला	उप पुलिस अधीक्षक
5	कु. अंजूलता पटले	उप पुलिस अधीक्षक
6	श्री जयराम कुबेर	उप पुलिस अधीक्षक
	उज्जैन संभाग	
7	श्री गोपाल सिंह धाकड़	उप पुलिस अधीक्षक
8	सुश्री चैत्रा एन.	अति. पुलिस अधीक्षक
9	श्री शशिकान्त कनकने	उप पुलिस अधीक्षक
	सागर संभाग	
10	श्री सुनील कुमार शिवहरे	उप पुलिस अधीक्षक
11	श्री सुनील कुमार पाटीदार	उप पुलिस अधीक्षक

(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
12	श्रीमती रिचा राय	उप पुलिस अधीक्षक
13	श्रीमती बीना सिंह	उप पुलिस अधीक्षक
14	सुश्री पार्वती सोलंकी	उप पुलिस अधीक्षक
	इन्दौर संभाग	
15	डॉ. नीरज चौरसिया	उप पुलिस अधीक्षक
16	श्री गौतम सोलंकी	उप पुलिस अधीक्षक
17	श्री धर्मवीर मांगोदिया	उप पुलिस अधीक्षक
18	श्री प्रतिपाल सिंह महोबिया	उप पुलिस अधीक्षक
	रीवा संभाग	
19	श्री विक्रम सिंह कुशवाहा	उप पुलिस अधीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
20	कु. रश्मि अग्रवाल	उप पुलिस अधीक्षक
21	श्री विक्रम सिंह	उप पुलिस अधीक्षक
22	श्री कमलेश कुमार खरपते	उप पुलिस अधीक्षक
23	कु. आरती महाजन	उप पुलिस अधीक्षक

क्र. एफ. 3-45-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र स्विच गैयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उज्जैन संभाग	
1	श्री पी.सी. राजगुरू	सहायक यंत्री

क्र. एफ. 3-50-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	इन्दौर संभाग	
1	श्री पराक्रम सिंह चन्द्रावत	जिला आबकारी अधिकारी
	निम्नस्तर	
	इंदौर संभाग	
1	श्री बृजेन्द्र कोरी	जिला आबकारी अधिकारी

क्र. एफ. 3-53-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	निम्नस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री घनश्याम सिरसाम	सहायक संचालक

भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

क्र. एफ. 3-27-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि-तृतीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	ग्वालियर संभाग	
1	श्री उदयभान मांझी	वनक्षेत्रपाल
	सागर संभाग	
2	श्री भूपतसिंह गौड़	वनक्षेत्रपाल

क्र. एफ. 3-4-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा उत्पाद शुल्क आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	इंदौर संभाग	
1	श्री ब्रजेन्द्र कोरी	जिला आबकारी अधिकारी

क्र. एफ. 3-12-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र खनिज प्रबन्ध (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री रविन्द्र परमार	सहायक भौमिकी विद
2	कु. मन्नु डामोर	सहायक भौमिकी विद
	भोपाल संभाग	
3	श्रीमती प्रिति ठाकुर	सहायक भौमिकी विद
	ग्वालियर संभाग	
4	श्री प्रदीप कुमार भूरिया	सहायक भौमिकी विद
	निम्नस्तर	
	रीवा संभाग	
1	श्री बंसत राम	सहायक भौमिकी विद
	ग्वालियर संभाग	
2	श्री सावन सिंह चौहान	सहायक भौमिकी विद

क्र. एफ. 3-8-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र प्रथम प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	उज्जैन संभाग	
1	श्रीमती शकुन्तला डामोर	जिला संयोजक
	जबलपुर संभाग	
2	श्रीमती वत्सला शिवहरे	वि.खण्ड अधि.
3	श्रीमती शिल्पा जैन	जिला संयोजक

क्र. एफ. 3-48-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्रीमती पारू मालवीय	हाउस मास्टर
	निम्नस्तर	
	इंदौर संभाग	
1	श्रीमती कल्पना पंवार	मेट्रन
2	श्री उमेश सिंह ठाकुर	मेट्रन
3	श्री प्रदीप बागड़े	शिक्षक
	भोपाल संभाग	
4	श्री ऋषि दुबे	मेट्रन
5	श्री सुकेशी तिर्की	हाउस मास्टर
	जबलपुर संभाग	
6	श्री शशिकान्त ठाकुर	मेट्रन
7	श्री अरुण कुमार बढोलिया	मेट्रन
8	श्री अनुज कुमार शर्मा	हाउस मास्टर
	सागर संभाग	
9	श्री अकबर खान	हाउस मास्टर
	उज्जैन संभाग	
10	श्रीमती शोभना चौहान	शिक्षक
11	श्री राकेश मोहन दुबे	मेट्रन
12	श्री मुक्ता अवस्थी	हाउस मास्टर

क्र. एफ. 3-30-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा-प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री संजय कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
2	श्री नरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री जयभान शाह उईके	राजस्व निरीक्षक
4	श्रीमती सपना एम. लोवंशी	डिप्टी कलेक्टर

सागर संभाग

5	कु. विनीता जैन	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
6	श्री चन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
7	श्री कृष्ण कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

8	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
9	श्री मोतीलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
10	श्री सुशील कुमार	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

11	श्री शिरोमन सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
12	श्री बृजकिशोर शर्मा	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
13	श्री विश्राम शाक्य	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
14	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
15	श्री सुरेश यादव	राजस्व निरीक्षक
16	श्री रामकुमार जाटव	राजस्व निरीक्षक
17	श्री रामप्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

18	श्री एम.सी.बी. चक्रवर्ती	सहायक कलेक्टर
19	श्री रामकनेश साकेत	राजस्व निरीक्षक
20	श्री त्रिलोक सिंह पन्साम	राजस्व निरीक्षक

इंदौर संभाग

21	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
22	श्री महेन्द्र कुमार बड़ोले	राजस्व निरीक्षक
23	श्री ओमप्रकाश बेड़ा	राजस्व निरीक्षक
24	श्री महेन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक
25	श्री पंकज यादव	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री नारद सिंह पन्द्रे गौड़	नायब तहसीलदार
2	श्री बृजबिहारी दुबे	नायब तहसीलदार

सागर संभाग

3	श्री ललित वेद	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

4	श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
5	श्री नवल किशोर प्रभाकर	राजस्व निरीक्षक
6	श्री लटूरीलाल करोरिया	सहा.अधि. भू-अभिलेख
7	श्रीमती अलका सिंह	नायब तहसीलदार

ग्वालियर संभाग

8	श्री लालसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
9	श्री शिवदायल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
10	श्री लोकमणि शाक्य	राजस्व निरीक्षक
11	श्री शिवनन्दन सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
12	श्री मुन्नालाल गौड़	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

13	डॉ. के. वासूकी	सहायक कलेक्टर
14	श्री संतोष कुमार अरिहा	राजस्व निरीक्षक
15	श्री भुवनेश्वर सिंह	राजस्व निरीक्षक
16	श्री भरत सिंह	राजस्व निरीक्षक
17	श्री कौशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
18	श्री कोमलसिंह बनवासी	राजस्व निरीक्षक
19	श्री हरिहर प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
20	श्री गोरेलाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
21	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

22	श्री एच.एस. धुर्वे	नायब तहसीलदार

इंदौर संभाग

23	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक
24	श्री सरदारसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
25	श्री भगवानसिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
26	श्री रमेशसिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
27	श्री मोहम्मद अयाज	राजस्व निरीक्षक
28	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
29	श्री सुनील करवरे	राजस्व निरीक्षक
30	श्री विनय मोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
31	श्री शिवकान्त पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
32	श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
33	श्री बालचन्द्र देवलिया	सहा.अधि. भू-अभिलेख
34	श्री पुरुषतोत्तम लाड़	सहा.अधि. भू-अभिलेख

(1)	(2)	(3)
35	श्री कुंवर सिंह चौहान	सहा.अधि. भू-अभिलेख
36	श्री रेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
37	श्री नंदकिशोर मालवीय	राजस्व निरीक्षक

क्र. एफ. 3-6-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय (पुस्तको सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

इंदौर संभाग

1	श्री सुदाम पढ़रीनाथ खाड़े	सहायक कलेक्टर
2	श्रीमती माया अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर
3	श्रीमती रंजना मुजाल्दे	डिप्टी कलेक्टर
4	डॉ. अभय सिंह खरारी	डिप्टी कलेक्टर
5	श्री शक्तिसिंह चौहान	नायब तहसीलदार

जबलपुर संभाग

6	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी	सहायक कलेक्टर
7	श्रीमती रानि पासी	डिप्टी कलेक्टर
8	श्री प्रवीण फुलपगारे	डिप्टी कलेक्टर

रीवा संभाग

9	श्री एम.सीबी. चक्रवती	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
10	श्री जे.पी. आईरिन सितिया	सहायक कलेक्टर
11	डॉ. के. वासूकी	सहायक कलेक्टर
12	श्रीमती ईला तिवारी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
13	श्री उमरावसिंह मरावी	डिप्टी कलेक्टर

उज्जैन संभाग

14	श्रीमती लक्ष्मी गामड़	डिप्टी कलेक्टर

भोपाल संभाग

15	श्री विशाल चौहान	डिप्टी कलेक्टर
16	श्री संदीप कुमार सोनी	डिप्टी कलेक्टर
17	श्री इच्छित गढपाले	डिप्टी कलेक्टर
18	श्री विवेक कुमार रघुवंशी	डिप्टी कलेक्टर
19	श्री मेहताब सिंह	डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर

होशंगाबाद संभाग

1	श्री प्रदीप जैन	डिप्टी कलेक्टर
2	श्रीमती श्वंता पंवार	डिप्टी कलेक्टर
3	श्री कृष्ण कुमार रावत	डिप्टी कलेक्टर
4	श्री भरत यादव	सहायक कलेक्टर
5	कु. प्रियंका पालीवाल	डिप्टी कलेक्टर
6	श्री पूनमचन्द्र जांगडे	अधीक्षक भू-अभिलेख

ग्वालियर संभाग

7	श्री एम.एल. गुप्ता	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
8	श्री छोटेसिंह गुर्जर	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
9	श्री रिंकेश कुमार वैश्य	डिप्टी कलेक्टर
10	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
11	श्री हृदयेश श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री केशव सिंह	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
13	श्री प्रदीप कुमार ऋषिश्वर	राजस्व निरीक्षक
14	श्री बृजकिशोर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
15	श्री बनीसिंह वर्मा	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
16	श्री श्यामबाबू सिरोठिया	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
17	श्री अशोक कुमार सक्सेना	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
18	श्री. मनोज दिवाकर	राजस्व निरीक्षक
19	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
20	श्री सतेन्द्र सिंह तौमर	राजस्व निरीक्षक
21	श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल	डिप्टी कलेक्टर
22	श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव	डिप्टी कलेक्टर
23	श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर	डिप्टी कलेक्टर

सागर संभाग

24	श्री राजकुमार खत्री	डिप्टी कलेक्टर
25	कु. निमिषा जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
26	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर
27	कु. नेहा भारतीय	डिप्टी कलेक्टर
28	श्री शारदा प्रसाद चढ़ार	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
29	श्री धनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक
30	श्री विनय कुमार रिझारिया	नायब तहसीलदार

इंदौर संभाग

31	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	राजस्व निरीक्षक
32	श्री बिहारीलाल कुमरावत	राजस्व निरीक्षक
33	श्री काशीराम वास्कले	राजस्व निरीक्षक
34	श्री सुरेशचन्द जमरे	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
35	श्री श्रीराम कास्डे	राजस्व निरीक्षक
36	श्री महेन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक
37	श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
38	श्री कुवंरसिंह चौहान	सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख
39	श्री आपसिंह कटारा	राजस्व निरीक्षक
40	कु. स्वाती मीणा	सहायक कलेक्टर
41	श्री संकेत एस. भोड़वे	सहायक कलेक्टर
42	श्रीमती रिंकी बामनिया	नायब तहसीलदार
43	कु. माधवी नागेन्द्र	डिप्टी कलेक्टर
44	श्री देवकुवंर जामोद	नायब तहसीलदार
45	श्री अखिलेख कुमार जैन	डिप्टी कलेक्टर
46	श्री कैश्या सोलंकी	राजस्व निरीक्षक
47	श्री हिरालाल इस्क्या	राजस्व निरीक्षक
48	श्री जगन्नाथ वास्कले	राजस्व निरीक्षक
49	श्री गजानंद चौहान	राजस्व निरीक्षक
50	श्री रामदास मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
51	श्री कुलदीप खेड़े	राजस्व निरीक्षक
52	श्री ओंकार मनाग्रे	राजस्व निरीक्षक
53	श्री अभय भटोरे	राजस्व निरीक्षक
54	श्री अनिल कुमार मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
55	श्री महेन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक
56	श्री रणजीत सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
57	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक
58	श्री राजाराम कन्नौज	राजस्व निरीक्षक
59	श्री सरदार सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
60	श्री भागीरथ वाखला	राजस्व निरीक्षक
61	श्री रमेश सिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
62	श्री बलराम चौहान	राजस्व निरीक्षक
63	श्री मोहम्मद अयाज	राजस्व निरीक्षक
64	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
65	श्री संतोष ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
66	श्री विनोद साहू	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

67	श्री बाबूलाल खराड़ी	अधीक्षक भू-अभिलेख
68	श्री नागरगोजे मदन विभिषण	सहायक कलेक्टर

जबलपुर संभाग

69	श्रीमती निधि सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर
70	कु. सुरभि सोनी	डिप्टी कलेक्टर
71	कु. सुनिता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
72	श्री अभिषेक दुबे	डिप्टी कलेक्टर
73	श्री रजनीश कसेरा	डिप्टी कलेक्टर
74	श्री नारदसिंह पन्दे गौड़	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
75	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
76	श्री मोहम्मद सिराज	नायब तहसीलदार
77	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार
78	श्री प्रकाश सिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
79	श्री आदेश राय	डिप्टी कलेक्टर

भोपाल संभाग

80	कु. वंदना मैहरा	डिप्टी कलेक्टर
81	श्रीमती माधवी वर्मा	डिप्टी कलेक्टर

रीवा संभाग

82	कु. विमलेश सिंह	डिप्टी कलेक्टर
83	श्री कोशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
84	श्री रामकलेश साकेत	राजस्व निरीक्षक
85	श्री भरत सिंह	राजस्व निरीक्षक
86	श्री रामसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
87	श्री त्रिलोक सिंह पन्साम	राजस्व निरीक्षक
88	श्री राजेन्द्र दास पनिका	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

89	श्री दिनेश असाटी	राजस्व निरीक्षक
90	श्री संदीप विश्वास	राजस्व निरीक्षक
91	श्री कृष्ण कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

92	श्री मोतीलाल अहिरवार	नायब तहसीलदार
93	श्री गोविन्द दास दोहरे	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख
94	श्री सुशील कुमार	नायब तहसीलदार
95	कु. लता शरणागत	डिप्टी कलेक्टर

क्र. एफ. 3-54-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र लेखा-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री लटुरीलाल करोरिया	सहा.अधी. भू-अभिलेख
2	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
3	श्री संजय कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
	इंदौर संभाग	
4	श्री मोबिन खान	राजस्व निरीक्षक
5	श्री महेन्द्र सिंह बड़ोले	राजस्व निरीक्षक
6	श्री विश्वमोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
7	श्री ओम प्रकाश बेड़ा	राजस्व निरीक्षक
8	श्री महेन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक
	निम्नस्तर	
	सागर संभाग	
1	श्री चन्द्रकुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
2	श्री ललित वेद	राजस्व निरीक्षक
3	श्री धनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक
4	श्री कृष्ण गोपाल दुबे	राजस्व निरीक्षक
	भोपाल संभाग	
5	श्री मोतीलाल अहिरवार	नायब तहसीलदार
6	श्री सुनील कुमार	नायब तहसीलदार
7	श्रीमती अलका सिंह	नायब तहसीलदार
8	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	नायब तहसीलदार
	ग्वालियर संभाग	
9	श्री रामबाबू सिरोठिया	सहा. अधि. भू-अभिलेख
	रीवा संभाग	
10	श्री संतोष कुमार अरिहा	राजस्व निरीक्षक
11	श्री कौशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
12	श्री त्रिलोक सिंह पन्साम	राजस्व निरीक्षक
13	श्री हरिहर प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
14	श्री गौरेलाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
	उज्जैन संभाग	
15	श्री एच. एस. धुर्वे	नायब तहसीलदार
	जबलपुर संभाग	
16	श्री नरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
17	श्री बृजबिहारी दुबे	राजस्व निरीक्षक
18	श्री जगभान शाह उईके	राजस्व निरीक्षक
19	श्री प्रमोद कुमार उपगड़े	राजस्व निरीक्षक
	इन्दौर संभाग	
20	श्री बालकिशोर सालवी	राजस्व निरीक्षक
21	श्री सरदारसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
22	श्री भगवानसिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
23	श्री महेन्द्रसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
24	श्री रमेशसिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक
25	श्री मोहम्मद अयाज	राजस्व निरीक्षक
26	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
27	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
28	श्री सुनील करवरे	राजस्व निरीक्षक
29	श्री शिवकान्त पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
30	श्री पुरुषोत्तम लाड़	सहा. अधी. भू-अभिलेख
31	श्री कुंवर सिंह चौहान	सहा. अधी. भू-अभिलेख
32	श्री रेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
33	श्री नंदकिशोर मालवीय	सहा. अधी. भू-अभिलेख

क्र. एफ. 3-24-2010-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अप्रैल 2010 को प्रश्नपत्र सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	होशंगाबाद संभाग	
1	श्री प्रदीप जैन	डिप्टी कलेक्टर
2	श्री भरत यादव	सहायक कलेक्टर
3	श्रीमती प्रियंका पालीवाल	डिप्टी कलेक्टर
4	श्रीमती श्वेता पंवार	डिप्टी कलेक्टर
	सागर संभाग	
5	कु. निमिषा जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
6	कु. नेहा भारतीय	डिप्टी कलेक्टर
7	श्री विशेष गढपाले	सहायक कलेक्टर
	भोपाल संभाग	
8	श्री मोतीलाल अहिरवार	नायब तहसीलदार
9	श्री श्रीमन शुक्ल	सहायक कलेक्टर
10	श्री संदीप कुमार सोनी	डिप्टी कलेक्टर
11	श्री विवेक कुमार रघुवंशी	डिप्टी कलेक्टर
	ग्वालियर संभाग	
12	श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल	डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
	रीवा संभाग	
13	श्री उमराव सिंह मरावी	डिप्टी कलेक्टर
14	श्री रामकलेश साकेत	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
15	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी	सहायक कलेक्टर
16	श्रीमती निधि सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर
17	श्री वि. किरण गोपाल	सहायक कलेक्टर
18	श्री संजय कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
19	श्री प्रकाश सिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
20	श्री आदेश राय	डिप्टी कलेक्टर
	इन्दौर संभाग	
21	श्री रमेश सिंह सिसोदिया	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

	सागर संभाग	
1	श्री राजकुमार खत्री	डिप्टी कलेक्टर
2	श्री कृष्ण कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री चन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
4	श्री ललित वेद	राजस्व निरीक्षक
5	श्री धनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक
	भोपाल संभाग	
6	श्री रामजी तिवारी	राजस्व निरीक्षक
7	श्री लुहारसिंह चिचाम	सहा. अधी. भू-अभिलेख
8	श्रीमती अलका सिंह	नायब तहसीलदार
9	श्री सुशील कुमार	नायब तहसीलदार
10	कु. वंदना मेहरा	डिप्टी कलेक्टर
11	श्री विशाल चौहान	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री मेहताब सिंह	डिप्टी कलेक्टर
	ग्वालियर संभाग	
13	श्री देवीसिंह तौमर	सहा. अधी. भू-अभिलेख
14	श्री प्रदीप कुमार ऋषिश्वर	राजस्व निरीक्षक
15	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
16	श्री श्यामबाबू सिरोठिया	सहा. अधी. भू-अभिलेख
17	श्री अशोक कुमार सक्सेना	सहा. अधी. भू-अभिलेख
18	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
19	श्री लोकमणि शाक्य	राजस्व निरीक्षक
20	श्री सुरेश यादव	राजस्व निरीक्षक
21	श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव	डिप्टी कलेक्टर
22	श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर	डिप्टी कलेक्टर
	रीवा संभाग	
23	श्री वीरेन्द्र कुमार सोनी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
24	श्री त्रिलोक सिंह पन्साम	राजस्व निरीक्षक
25	श्री कौशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
26	श्री संतोष कुमार अरिहा	राजस्व निरीक्षक
27	श्री भरत सिंह	राजस्व निरीक्षक
28	श्री भुवनेश्वर सिंह	राजस्व निरीक्षक
29	श्री हरिहर प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
30	श्री कोमलसिंह वनवासी	राजस्व निरीक्षक
31	श्री गोरेलाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
32	श्रीमती मधुरानि तेवतिया	सहायक कलेक्टर
33	श्रीमती सुनीता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
34	श्री नरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
35	श्री नारद सिंह पन्द्रे गौड़	राजस्व निरीक्षक
36	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
37	श्री प्रवीण फुलपगारे	डिप्टी कलेक्टर
38	श्री सुरेशचन्द्र परस्ते	नायब तहसीलदार
39	श्री अखिलेश कुमार जैन	डिप्टी कलेक्टर
	इन्दौर संभाग	
40	डॉ. अभयसिंह खरारी	डिप्टी कलेक्टर
41	श्री सरदारसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
42	श्री भगवान सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
43	श्री महेन्द्र सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
44	श्री धीरेश प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
45	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
46	श्री महेन्द्र सिंह बड़ोले	राजस्व निरीक्षक
47	श्री विनय मोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
48	श्री ओमप्रकाश बेड़ा	राजस्व निरीक्षक
49	श्री रविन्द्र सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
50	श्री पंकज यादव	राजस्व निरीक्षक
51	श्री पुरुषोत्तम लाड़	राजस्व निरीक्षक
52	श्री बालचन्द्र देवलिया	राजस्व निरीक्षक
53	श्री रेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेनू तिवारी, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जून 2010

फा. क्र. 17 (ई) 51-2005-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुनील कुमार अवस्थी, विशेष न्यायाधीश, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय, धार की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक 5-14-2010-उन्तीस (2) दिनांक 31 मई 2010 द्वारा उनकी नियुक्ति अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के संबंध में दी गई सहमति के फलस्वरूप अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

फा. 3(बी)3-2010-इक्कीस-ब(एक).—निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रहलाद सिंह गज्जाम, सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 तथा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजगढ़ (वर्तमान में निलंबित, मुख्यालय, बैतूल) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismiss) किये जाने की अनुशंसा की है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रहलाद सिंह गज्जाम, सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 तथा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजगढ़ (वर्तमान में निलंबित, मुख्यालय, बैतूल) को दण्ड स्वरूप सेवा से पदच्युत (Dismiss) किया जाए.

अतः, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10, के उपनियम (9) के प्रावधानों के अनुसार एतद्द्वारा, राज्य शासन, श्री प्रहलाद सिंह गज्जाम, सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 तथा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राजगढ़ (वर्तमान में निलंबित, मुख्यालय, बैतूल) के पद से (सेवा से) दीर्घशास्ति स्वरूप पदच्युत (Dismiss) करता है.

श्री कोमल सिंह, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शहडोल, मध्यप्रदेश

क्र. 3 (ए) 5-10-इक्कीस-ब-(एक).—यह कि आपने दिनांक 15 नवम्बर 2007 को 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है.

यह कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श एवं अनुशंसा की है.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 (1)(बी) एवं मूलभूत नियम 56 (2)(ए) तथा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपराह्न से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी, जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

श्रीमती पुष्पलता दवे, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1, भीकनगांव न्यायिक जिला मंडलेश्वर मध्यप्रदेश

क्र. 3 (ए) 5-10-इक्कीस-ब-(एक).—यह कि आपने दिनांक 10 अप्रैल 2009 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है.

यह कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श एवं अनुशंसा की है.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 (1)(बी) एवं मूलभूत नियम 56(3) तथा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपराह्न से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी, जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

श्री जयदेव पाराशर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

क्र. 3 (ए) 5-10-इक्कीस-ब-(एक).—यह कि आपने दिनांक 23 दिसम्बर 2005 को 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है.

यह कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श एवं अनुशंसा की है.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 (1)(बी) एवं मूलभूत नियम 56 (2)(ए) तथा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपराह्न से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी, जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

श्रीमती मीरा बिल्लौरे, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सेंधवा, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

क्र. 3 (ए) 5-10-इक्कीस-ब-(एक).—यह कि आपने दिनांक 15 अक्टूबर 2007 को 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है.

यह कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 22 मई 2010 में यह निर्णय लिया गया है कि लोकहित में आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, तद्नुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने परामर्श एवं अनुशंसा की है.

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा समग्र रूप से विचार करने के उपरांत राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय के परामर्श को मान्य किया जाकर आपको लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाए.

अतएव यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम, 42 (1)(बी) एवं मूलभूत नियम, 56 (2)(ए) तथा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, आपको इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपराह्न से लोकहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करता है.

आपको तीन माह की कालावधि की सूचना के विकल्प में तीन माह के वेतन एवं भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी, जो आप सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

फा. क्र. 17(ई)10-2001-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह बघेल, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम उज्जैन की सेवाएं, आयुक्त विभागीय जांच के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2010

फा. क्र. 1(बी) 42-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2004 एवं 28 जनवरी 2005 द्वारा नियुक्त शास. अभि./लोक अभियोजक/

अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, झाबुआ के कार्यकाल में निम्नांकित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है:—

(1) श्री मानसिंह भूरिया, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, झाबुआ दिनांक 15 दिसम्बर 2008 से 14 दिसम्बर 2011 तक.

(2) श्री शशिकान्त जोशी, अति. शास. अभि./अति. लोक अभियोजक, झाबुआ दिनांक 15 दिसम्बर 2008 से 14 दिसम्बर 2011 तक.

(3) श्री जुवान सिंह डाबर, अति. शास. अभि. /अति. लोक अभियोजक (फास्ट ट्रेक कोर्ट), झाबुआ दिनांक 15 दिसम्बर 2008 से 14 दिसम्बर 2011 तक.

(4) श्री दीपक भण्डारी, अति. शास. अभि. /अति. लोक अभियोजक, झाबुआ दिनांक 29 जनवरी 2009 से 28 जनवरी 2012 तक.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

फा. क्र. 1(बी)-23-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री दिनेश प्रसाद त्रिपाठी, पुत्र स्व. श्री श्यामलाल त्रिपाठी, अति. लोक अभियोजक को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये उमरिया सत्र खण्ड के उमरिया राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, उमरिया नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 17 (ई) 35-05-इक्कीस-ब (दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक-59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक-39) की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1996 के नियम 14 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के परामर्श से निम्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट जिला अनूपपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के लिये अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को दो वर्ष के लिये सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

अनुसूची

क्रमांक	जिला	पदेन सदस्य
(1)	(2)	(3)
1	अनूपपुर	श्री महेश्वर मेहरा पुत्र श्री रोशन मेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता निवासी जैतहरी जिला अनूपपुर (म. प्र.).

भोपाल, दिनांक 15 जून 2010

फा. क्र. 1(बी)-18-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा नियुक्त श्री नारायण जाधव, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, मण्डलेश्वर सत्र खण्ड बड़वानी राजस्व जिले सेंधवा के कार्यकाल में दिनांक 11 अक्टूबर 2008 से 10 अक्टूबर 2011 तक तीन वर्ष वृद्धि करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी) 16-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2004 द्वारा नियुक्त जिला शासकीय अभिभाषक/अति. शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक, खरगौन के कार्यकाल में निम्नलिखित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है. यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

(1) श्री विष्णु मोहन जोशी, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, मण्डलेश्वर दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.

(2) श्री सुरेश चन्द्र झापुड़ (पाटीदार) अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, मण्डलेश्वर दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.

(3) श्री कोदू प्रसाद त्रिपाठी, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक खरगौन अति. लोक अभियोजक दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.

(4) श्री अशोक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, खरगौन दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.

(5) श्री जगदीश चन्द्र माहेश्वरी, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, बड़वाह दिनांक 1 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 तक.

(6) श्री राजकुमार अत्रे, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, फास्ट ट्रेक कोर्ट, खरगौन दिनांक 3 मार्च 2009 से तीन वर्ष 3 मार्च 2012 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जून 2010

क्र. डी-15-13-2010-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-25-92-चौदह-3, दिनांक 12 मई 1995 द्वारा राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील की अनुसूची में उल्लेखित 115 ग्रामों के क्षेत्र को (जो इसमें इसके पश्चात् ''उक्त मंडी क्षेत्र'' के नाम से विनिर्दिष्ट है) उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित करने हेतु माचलपुर में मंडी स्थापित की गई थी.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने अब उक्त मंडी क्षेत्र में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित जिला राजगढ़ की तहसील जीरापुर के ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् ''उक्त क्षेत्र'' के नाम से विनिर्दिष्ट है) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ''उक्त मंडी क्षेत्र'' में ''उक्त क्षेत्र'' को सम्मिलित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति पर जो इस अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा:—

अनुसूची

(1) बांगपुरा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 जून 2010

क्र.-डी-15-13-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 9th June 2010

No. D-15-13-2010-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. 15-25-92-XIV-3 dated 12th May 1995 issued under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have established Market at Machalpur for regulation of purchase and sale of the Agricultural produces specified in the schedule of the said Notification in the area comprising of 115 villages specified in the schedule of the said Notification (herein after referred to as the "said market area") in Tehsil Jirapur of district Rajgarh.

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limit of the "said market area" by including therein the area comprising of villages specified in the schedule below in Jirapur Tehsil of district Rajgarh (hereinafter referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to alter the limits of the "said market area" by including therein the "said area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to this Notification within six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government:—

SCHEDULE

1. Bangpura.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

क्र. एफ 1(ए)101-2008-ब-2-दो.—(1) श्री एस. पी. सिंह, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, देवास को दिनांक 29 मई से 4 जून 2010 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:—

(1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री एस. पी. सिंह, भापुसे., की अवकाश अवधि में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, सेनानी प्रथम वाहिनी, विसबल, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, देवास का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री एस. पी. सिंह, भापुसे., द्वारा पुलिस अधीक्षक देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, सेनानी प्रथम वाहिनी, विसबल, इन्दौर पुलिस अधीक्षक, देवास के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एस. पी. सिंह, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. पी. सिंह, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. एफ. 1 (ए) 166-1994-ब-2-दो.—1. श्री आर.एस. मीणा, भापुसे., महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर को दिनांक 14 जून से 3 जुलाई 2010 तक, कुल बीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12, 13 जून 2010 एवं 4 जुलाई 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. श्री आर. एस. मीणा, भापुसे. की अवकाश अवधि में श्री प्रेमसिंह विष्ट, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री आर. एस. मीणा, भापुसे. द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर, रेंज छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रेम सिंह विष्ट, भापुसे., उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. मीणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. अवकाशकाल में श्री आर. एस. मीणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. एस. मीणा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

क्र. एफ.1(ए)256-1988-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मई 2010 द्वारा श्री अनिल कुमार भापुसे. पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पु.मु. भोपाल को दिनंक 12 से 17 मई 2010 तक, कुल छः दिन का अर्जित अवकाश एवं खण्डवर्ष 2008-09 (विस्तार वर्ष 2010) में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत सपरिवार ''चेरापूंजी (मेघालय)'' जाने की अनुमति प्रदान की गई है.

2. श्री अनिल कुमार, भापुसे. द्वारा उक्त अवकाश एवं अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया गया है. अतः राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लेखित आदेश दिनांक 22 मई 2010 को निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ. 1 (ए) 157-1995-ब-2-दो.—1. श्री संजीव शमी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना, विशेष शाखा, पु.मु., भोपाल को शासन आदेश क्रमांक एफ 1-58-2010-ब-2-दो, दिनांक 1 जून 2010 द्वारा इटली/फ्रांस की निजी विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है. उक्त आदेश के तारतम्य में श्री शमी को दिनांक 31 मई से 18 जून 2010 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 30 मई एवं 19, 20 जून 2010 के विज्ञप्त अवकाश जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. श्री संजीव शमी, भापुसे. की अवकाश अवधि में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) पु.मु., भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना विशेष शाखा, पु.मु., भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री संजीव शमी, भापुसे. द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना, विशेष शाखा, पु.मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर

श्री राजेश गुप्ता, भापुसे., उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना, विशेष शाखा, पु.मु., भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, काउन्टर आसूचना, विशेष शाखा, पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2010

क्र. एफ 1(ए)103-2005-ब-2-दो.—1. श्री आर.के. मराठे, भापुसे., सेनानी 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा को दिनांक 29 मई से 4 जून 2010 तक, कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:—

(1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

2. श्री आर.के. मराठे, भापुसे., की अवकाश अवधि में उप सेनानी 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सेनानी 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा का प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री आर.के. मराठे, भापुसे., द्वारा सेनानी 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर उपरोक्तानुसार निर्देशित अधिकारी उक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. मराठे, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 8वीं वाहिनी, विसबल, छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

5. अवकाशकाल में श्री आर.के. मराठे, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.के. मराठे, भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव

बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2010

क्र. एफ. 2-12-2008-तैंतालीस-बीस सूत्र.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2009 द्वारा राज्यस्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का कार्यकाल दिनांक 19 दिसम्बर 2009 से छः माह के लिए बढ़ाया गया था, पुनः एतद्द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक 31 अगस्त 2010 तक बढ़ाया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कंचन जैन, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

क्र. एफ. 3-5-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-5-2010-बत्तीस, दिनांक 16 फरवरी 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित देवास विकास योजना 2011 में निम्नलिखित

उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**देवास**	सर्वे क्र. 101 एवं 95.	0.947 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	वाणिज्यिक.
		योग . .	0.947 हेक्टेयर		

2. उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 10 जून 2010

क्र. 500-सा.-लेख-2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा-2 के खण्ड-एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2(4) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 1 जून 2010 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-2 के खण्ड-एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक (1) में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है :—

राजस्व ग्राम का नाम (स्तंभ क्रमांक-1)	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार (स्तंभ क्रमांक-2)	थाना क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया (स्तंभ क्रमांक-3)
1. पडेरिया 2. बगुनिया	सुवासरा	थाना शामगढ़
1. बादाखेडी 2. बरखेडी 3. सांकिरयाखेडी	भावगढ़	थाना वाय.डी. नगर
1. फतेगढ़ 2. धुधडका	अफजलपुर	चौकी दलौदा (थाना भावगढ़)
1. अभिनन्दन 2. टिगरिया 3. स्नेह नगर	वाय.डी. नगर	थाना शहर कोतवाली, मन्दसौर

(स्तंभ क्रमांक-1)	(स्तंभ क्रमांक-2)	(स्तंभ क्रमांक-3)
4. शान्तनु विहार 5. छाजुखेडा 6. आक्याफत्तु		
1. माल्याखेडी 2. बोहरा खेडी	शहर कोतवाली, मन्दसौर	थाना वाय.डी. नगर
1. आरड़ी 2. अब्दापुर 3. अरनिया मीणा	नारायणगढ़	थाना नाहरगढ़
1. अनुपपुरा 2. सोमिया 3. कचनारा 4. हरमाला	मल्हारगढ़	थाना नारायणगढ़
1. हरिगढ़ 2. दांतला	गांधीसागर	थाना भानपुरा
1. मोतीपुरा 2. रायखेडा 3. कुण्डखेडा (उक्त तीनों राजस्व ग्राम तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर के राजस्व रिकार्ड के अन्तर्गत आने से).	थाना मनासा जिला नीमच	थाना नारायणगढ़, जिला मन्दसौर

महेन्द्र ज्ञानी, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसिचव.

कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना

राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 जून 2010

क्र. 1012-रा.स.-यू.ए.1-2010.—यत:, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 44-क(1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-58-10-38-3, दिनांक 14 जून 2010 जारी की है, जो दिनांक 14 जून 2010 से प्रभावशील की गई है.

2. अत:, मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 44-क(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत, प्रो. के.बी. पाण्डेय, (सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा) 191-एम.आई.जी.-1, ए.डी.ए. नैनी इलाहाबाद को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूं.

3. उनका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक-1 के अनुसार शासित होंगी.

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	भैरा	10.720	अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.).	भैरा तालाब योजना की नहर हेतु अर्जित भूमि.

भू-अर्जन के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 28 मई 2010

भू-अर्जन-प्र.क्र. 42-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	दुधवास	8.98	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अवशेष जलाशय 3 एवं वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 43-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	अंजनियां खुर्द	4.02	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 44-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कोलगांव	29.71	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अवशेष जलाशय-3 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 45-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	रोहणी	2.25	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 46-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	उदयपुर	1.65	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 47-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भादलीखेड़ा	6.23	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 48-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बांगरदा	2.98	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 49-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	अंजनियां कला	0.71	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 1 जून 2010

प्र. क्र. 12-भू-अर्जन-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	भियाखेड़ी	113/2	0.060	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	पीपलखेड़ा नहर की आर. एम. 1 के निर्माण हेतु.
			93/1/2	0.058		
			93/2	0.058		
			93/3	0.059		
			94	0.072		
			88	0.171		
			92	0.234		
			84/1	0.012		
			138	0.008		
			योग . .	0.732		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सम्राट अशोकसागर परियोजना की पीपलखेडा नहर की आर. एम. 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 4 जून 2010

प्र. क्र. 13-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	बेरखेडी जेतू	232/2/1	0.119	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि., विदिशा.	विदिशा से टीलाखेडी गुरारिया पठारी हवेली खरबई से रायसेन सीमा तक सड़क निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—विदिशा से टीलाखेड़ी गुरारिया पठारी हवेली खरबई से रायसेन सीमा तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 16 जून 2010

प्र. क्र. 01-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5)अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	बगोदा (स्पिल चैनल)	12.635	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की स्पिल चैनल निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की स्पिल चैनल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5)अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	बनोह	3.526	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5)अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	सिमरधान	1.210	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5)अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	रमखिरिया	4.008	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5)अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	सपली	11.444	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5)अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	दाउदखेड़ी	3.958	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नं. (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नं. (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा (5)अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	ख्वाजाखेड़ी	4.160	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 2 जून 2010

क्र. क-प्र.-भू-अर्जन-5316-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	खुरईथावरी	82	63.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-प्र.-भू-अर्जन-5317-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	खमकुआं	45	19.33	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-प्र.-भू-अर्जन-5318-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	सहजपुरी खुर्द	23	30.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. क-प्र.-भू-अर्जन-5342-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	नांदपुर	16	2.73	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	छोटी रानगिर जलाशय योजना के नहर कार्य.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—छोटी रानगिर जलाशय योजना के नहर कार्य के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-प्र.-भू-अर्जन-5345-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	भौंहारा	29	44.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—टिकारी जलाशय योजना बांध के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 8 जून 2010

क्र. क-प्र.-भू-अर्जन-5576-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	घाना	46	4.77	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	किशनपुर जलाशय नहर के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—किशनपुर जलाशय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 3 जून 2010

क्र. क्यू.-भूमि.सम्पा.-010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
उज्जैन	तराना	तिलावदी	सर्वे नं.	रकबा	भू-अर्जन अधिकारी, तराना	छोटी काली सिन्ध नदी पर निर्माणाधीन जलमग्नीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु.
			360 में से	0.06		
			362 में से	0.10		
		तिलावद	821 में से	0.48		
			योग . .	0.64		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तराना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 4 जून 2010

क्र. 16-अ-82-2009-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध तथा धारा 17(4) इस प्रकरण में लागू किये गये हैं तथा इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	जिंसीखान	सर्वे क्र.	रकबा	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			39	0470		
			40	0.270		
			42	1.060		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			59	0.899		
			57	0.166		
			60	0.084		
			61	0.063		
			63	0.283		
			35	0.120		
			23	0.300		
			20	0.050		
			योग . .	3.715		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 17-अ-82-2009-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध तथा धारा 17(4) इस प्रकरण में लागू किये गये हैं तथा इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	चक महाराजपुर	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा	कार्यपालन यंत्री हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर संभाग क्रमांक 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			37	0.27	0.02		
			38	0.26	0.07		
			40	0.37	0.09		
			82	0.31	0.16		
			72	0.79	0.18		
			74	0.24	0.20		
			75	0.29	0.08		
			76	0.25	0.20		
			77	0.45	0.050		
			78	0.60	0.280		
			80	0.63	0.480		
			83	0.32	0.15		
			84	0.31	0.21		
			235	0.20	0.20		
			237	0.58	0.09		
			238	0.66	0.20		
			236	0.71	0.45		
			239	0.31	0.15		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			240	0.21	0.08	
			241	0.50	0.25	
			242	0.13	0.07	
			245	0.34	0.12	
			246	0.50	0.32	
			248	0.21	0.01	
				योग :	4.110	

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 6 जून 2010

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	सारंगपुरा	19.03	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा जिला दमोह.	सारंगपुरा जलाशय बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिलचैनल योजना में आने वाली भूमि.
		बेलखेड़ी	15.92		
		योग . .	34.95 हे.		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—सारंगपुरा जलाशय बाध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल योजना में आने वाली भूमि का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82 वर्ष-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों

को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	बड़ागांव	0.18	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क दमोह संभाग जिला दमोह.	हारट बड़ागांव देवरी डौली मार्ग निर्माण योजना में आने वाली भूमि.
		सगौनीमाधों	0.07		
	हटा	देवरी फतेहपुर	0.36		
		चकरधा माफी	0.16		
		योग. .	0.77		

(2) सार्वजनिक प्रयोजंन के लिये भूमि की आवश्यकता है—हारट बड़ागाव देवरी डौली मार्ग निर्माण योजना में आने वाली भूमि का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क दमोह संभाग, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

दमोह, दिनांक 7 जून 2010

प्र. क्र. 12-अ-82 वर्ष-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	बिनती	14.31	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	बिनती जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.
		योग. .	14.31		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बिनती जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 जून 2010

क्र. 4873-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हर्रई	ग्राम-बरूल ब.नं.-51 प.ह.नं.-18 रा.नि.मं.-हर्रई	3.908 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के उप संभाग अमरवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4874-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हर्रई	ग्राम-साठिया ब.नं.-81 प.ह.नं.-18 रा.नि.मं.-हर्रई	2.213 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के उप संभाग अमरवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4875-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हर्रई	ग्राम-साजवा ब.नं.-80 प.ह.नं.-21 रा.नि.मं.-हर्रई	2.968 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के उप संभाग अमरवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 11 जून 2010

क्र. 6706-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	पाली	2.096	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	पाली जलाशय नहर कार्य के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन बावत्.
		योग. .	2.096		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर, (म.प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 6707-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	अमिलिया	1.999	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	अमिलिया जलाशय (नहर) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बावत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 6708-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	छिरहा टोला	0.771	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	छिरहा टोला (नहर) योजना हेतु निजी भूमि के अर्जन बावत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 जून 2010

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 631-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	रमपुरवा	1.044	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र.).	सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 632-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	मझगवां	8.295	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र.).	सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 633-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	परेवा	4.929	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र.).	सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 634-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सोनौर	4.390	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र.).	सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 635-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	शिवसागर	1.602	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र.).	सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 636-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रनेही (कोठी)	2.031	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र.).	सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 637-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रोयनी (कोठी)	3.831	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र.).	सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 638-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	रजौला	1.029	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र.).	सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10-पत्र क्र. 639-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में.) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	खूझा	0.290	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन चिरहुला कालोनी पुराने पी. डब्लू. डी. वर्कशाप के बगल में रीवा (म.प्र.).	सतना चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 को बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत 2 लेन मार्ग में निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 11 जून 2010

क्र. 743-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 11-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	पाछला	0.688	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 742-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	पितनगर	2.126	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 745-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 14-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	निमसर	0.180	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 749-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 15-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	रावेर	19.845	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 747-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 16-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	टोकसर	0.280	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 748-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 17-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	धनपाल्या	0.130	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 750-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 18-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	खेंड़ी	7.500	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 744-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 15-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	उमट्टी	0.445	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 746-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 20-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1), सह 17(4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	जायखेंड़ा	2.623	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म. प्र. रा. वि. मण्डल, मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 14 जून 2010

क्र. 360-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	गढ़ी	1.035	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, इन्दौर.	ग्राम गढ़ी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	1.035		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर में किया जा सकता है.

इन्दौर, दिनांक 16 जून 2010

क्र. 363-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	शक्करखेड़ी	0.612	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर	ग्राम शक्करखेड़ी के समीप खान नदी पर निर्माणाधीन पुल पर पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.
		योग . .	0.612		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला इन्दौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 15 जून 2010

क्र. 1016-वाचक-प्र.क्र. 61-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	बाकानेर	7.099	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट अन्तर्गत/लघु/ उप नहरें निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1021-वाचक-प्र.क्र. 61-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	भुवादा	6.667	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट अन्तर्गत/ लघु/ उप नहरें निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1026-वाचक-प्र.क्र. 61-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	धनखेड़ी	20.375	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट अन्तर्गत/लघु/ उप नहरें निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 22 सितम्बर 2009

क्र. 3-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—डंगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.76 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
434/1	0.03
434/2	0.05
435	0.16
436	0.12
437	0.16
450	0.20
451	0.01
452	0.20
496	0.07
497	0.07
502	0.06
503	0.08
504	0.08
505	0.18
508	0.20
512	0.13
513	0.08
515	0.10
516	0.01
719	0.14
720	0.23
721	0.09
724	0.03
534	0.05
611	0.01
616	0.02
618	0.44
620	0.01
621	0.03
623	0.20
626	0.02
628	0.32
629	0.44
635	0.08
636	0.39
642	0.07
650	0.22
651	0.09
652	0.08
667	0.17
668	0.12
670	0.05
904	0.01
905	0.02
930/1	0.18
930/2	0.11
672	0.18
675	0.10
683	0.18
689	0.27
690	0.28
691	0.10
693	0.06
694	0.31
697	0.01
698	0.02
699	0.05
700	0.12
701/1	0.05
701/2	0.05
702/1	0.08

(1)	(2)
702/2	0.02
706/1	0.01
706/2	0.23
707	0.11
1018/2	0.04
1019	0.05
1020	0.05
1023	0.12
725	0.13
726	0.14
732	0.24
733	0.10
736	0.16
738	0.25
739	0.05
746/1	0.13
746/2	0.02
747	0.02
748	0.08
749	0.05
759	0.08
760	0.09
761	0.18
763	0.12
764	0.17
778	0.15
888	0.03
889	0.04
891	0.16
892	0.01
893	0.06
895	0.08
896	0.45
898	0.14
899	0.04
901	0.01
902	0.12
903	0.20
932	0.12
933	0.11
934	0.02
939	0.06
940	0.18
941	0.07
942	0.05
943	0.25
944	0.08
945	0.09
946	0.18
947	0.14
948	0.13
949	0.10
950	0.03
966	0.05
967	0.27
968	0.23
981	0.17
982	0.12
984	0.11
985	0.16
988	0.09
989	0.06
1006	0.17
1007	0.27
1009	0.11
1010	0.20
1011	0.29
1018/1	0.04
1024	0.13
1119	0.08
योग . .	15.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— 7 सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की शाखा डी–7 एवं अन्य शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू–अर्जन अधिकारी, भू–अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दतिया, दिनांक 3 अप्रैल 2010

शुद्धि-पत्र

क्र. 12-अ-82-2007-08.—क्र. क्यू-भू-अर्जन-12अ82-2007-08.-**संशोधित.**—दतिया में सिंध नहर परियोजना आर. बी. सी. की (महूअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर डी-7 एवं अन्य शाखा नहरों के निर्माण हेतु ग्राम घूघसी, हल्का पटवारी नं. 56 में स्थित अशासकीय भूमि अधिग्रहण करने हेतु धारा 4 की अधिसूचना राजपत्र भाग-1 पेज नं. 1447, दिनांक 13 जून 2008 एवं धारा 6 की उदघोषणा राजपत्र भाग-1 पेज नं. 1705-06-07, दिनांक 21 नवम्बर 2008 को जारी की गई थी. दोनों ही धाराओं के प्रकाशन में कुल रकबा 16.44 हैक्टर के स्थान पर रकबा 16.42 हैक्टर त्रुटिवश अंकित हो गया था.

अत: राजपत्र में प्रकाशित धारा 4 व धारा 6 में रकबा 16.42 हैक्टर के स्थान पर 16.44 हैक्टर पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 15 फरवरी 2010

प्र. क्र. 20-अ-82-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सातलखेडी तालाब योजना के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मन्दसौर
(ख) तहसील—भानपुरा
(ग) ग्राम—बुढनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.17 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
264	0.13
397	0.04
योग . .	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सातलखेड़ी तालाब से नहर जाने से (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. के. सारस्वत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 मई 2010

प्र. क्र. 12-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) नगर/ग्राम—अतर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 1.000 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1363/2	1.000
1414	भूमि का मुआवजा पूर्व में भुगतान, मकान का शेष.
कुल योग (निजी भूमि) . .	1.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बरियारपुर परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 31 मई 2010

प्र. क्र. 11-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) नगर/ग्राम—डहर्रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 1.627 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
756	0.020
757	0.214
758	0.239
759	0.247
760	0.551
761	0.057
764	0.121
765	0.024
766	0.154
767	भूमि का मुआवजा मिल चुका है कुआ का शेष
773	भूमि का मुआवजा मिल चुका है मकान का शेष
1355	भूमि का मुआवजा मिल चुका है मकान का शेष
कुल योग (निजी भूमि). .	1.627

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बरियारपुर परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) ग्राम—पथरया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 6.561 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
211/2	0.397
212/2	0.615
212/2/2	0.615
223/2/1	0.430
264/1	0.600
330/856	0.186
330/857	0.158
260/2/1	1.133
680/4	0.398
682	0.629
727/7	1.400
256/1	भूमि का मुआवजा मिल चुका है पक्का कुआं एवं मकान का शेष
कुल योग (निजी भूमि)	6.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बरियारपुर परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

लौड़ी, दिनांक 8 जून 2010

प्र. क्र. 22-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—बसराही
(घ) लगभग क्षेत्रफल, निजी भूमि—1.167 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
592/2	0.131
592/4	0.181
591	0.080
590	0.096
594	0.036
584	0.146
588	0.085
587	0.015
585	0.195
589/1	0.040
508/2	0.162
	योग : 1.167

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी में किया जा संकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—महोबा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.943 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
149	0.422
143	0.233
139	0.007
138	0.012
137	0.150
136	0.300
135	0.048
128/1	0.111
128/3	0.180
127	0.144
472	0.004
470	0.064
471	0.065
473	0.074
474	0.129
	1.943

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—जोधपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.604 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
33/1	0.012
33/2	0.019
34/1क	0.167
34/1ख	0.064
34/2क	0.080
34/2ख	0.047
31	0.165
74	0.141
78	0.086
38/1	0.180
39	0.570
41/2	0.077
41/3	0.003
43	0.204
47	0.192
42	0.254
73	0.045
79	0.092
46	0.135
75	0.210
72	0.032
98	0.366
77	0.032
101	0.135
104	0.300
106	0.222
107	0.295
131	0.082
154/1	0.240
108	0.216
124/2	0.045
130/1	0.057
128/1	0.090
128/2	0.130
127	0.151
134	0.228
143	0.240
	5.604

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—चक दादूताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.355 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.168
2	0.187
	0.355

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—कुरमिनपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.711 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
38	0.269
39	0.198
29	0.096
28	0.055
27	0.28
37	0.021
18/2	0.364
5	0.162
6/2	0.12
7/2	0.146
योग . .	1.711

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—बछेड़ाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.702 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
129	0.133
130/2	0.086
128	0.235
126	0.302
123	0.179
127	0.234
135	0.007
119	0.218
121	0.160
117/1	0.144
117/2	0.080
140	0.148
108	0.118
107	0.101
99	0.272
87/1	0.333
93	0.339
13	0.095
10	0.002
7	0.369
12	0.165
11	0.211
8	0.033
6/2	0.013
5	0.041
4/1/1/1	0.066
4/1/1/2	0.068
4/1/1/3	0.056
4/1/1/4	0.051
4/1/2	0.044
4/1/3	0.080
4/2	0.080
2	0.086
1	0.153
	4.702

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर में उमराहा शाखा की हाजीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 24 मई 2010

क्र. 5-भू-अर्जन-09-10-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—सुल्तनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.517 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
155/1	0.128
155/2	0.086
161/1	0.103
161/3	0.050
176/3	0.012
178/2	0.145
169	0.090
179	0.064
180/1	0.101
180/2	0.101
181	0.052
185/1	0.040
185/2	0.040
185/3	0.041
185/4	0.040
192	0.032
193/1	0.008
193/2	0.008
193/3	0.007
193/4	0.007
136/1	0.021
136/2/1	0.007
136/2/2	0.007
136/2/3	0.007
136/3	0.021
136/4	0.026
136/5	0.021
136/6	0.021
136/7	0.021
136/8	0.021
136/9	0.021
16/1	0.032
16/2	0.032
160	0.052
183	0.012
138/1	0.040
	योग - 1.517

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की लघु नहर क्र. एल. एम.-7 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 8-भू-अर्जन-09-10-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—सहजाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.308 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
508	0.006
509/2	0.035

(1)	(2)
509/4/1	0.103
514	0.058
513	0.109
511/1	0.172
502/1	0.075
498	0.035
456	0.017
455	0.139
457/2	0.230
459	0.007
507/1	0.014
506/1, 506/3, 506/4	0.318
505	0.167
497/2/2	0.142
497/2/1	0.122
497/3	0.109
487	0.007
488	0.161
485/1	0.132
483/1	0.121
483/2	0.029
योग :	2.308

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा वितरिका नहर की माईनर एल. एम.-5 की उप नहर एस. एम.-1 एवं एस. एम.-2 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 9-भू-अर्जन-09-10-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—ब्यौची
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.506 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
83/1 मिन	0.007
84/1	0.167
84/2	0.070
85/2	0.091
85/3	0.075
86	0.007
91	0.080
90	0.009
योग :	0.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा वितरिका नहर की माईनर एल. एम.-5 की उप नहर एस. एम.-1 एवं एस. एम.-2 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 10-भू-अर्जन-09-10-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—गंगरबाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.450 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13/1	0.117

(1)	(2)
13/2	0.117
14	0.105
15	0.198
27	0.080
28	0.813
29	0.020
	योग : 1.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा की उप नहर क्र. 4 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 7-भू-अर्जन-09-10-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—सतपाड़ा सराय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.367 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
78	0.008
75/1	0.103
66/1	0.037
66/2	0.161
74/2	0.052
68	0.006
	योग : 0.367

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना की पीपलखेड़ा वितरिका नहर की माईनर एल. एम.-5 की उप नहर एस. एम.-1 एवं एस. एम.-2 के निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विदिशा, दिनांक 16 जून, 2010

प्र. क्र. 38-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—थाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—97.949 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.230
102/1	0.984
103/2	0.500
77/1	1.158
6/1	0.204
50/1	0.024
71/2	0.313
72	0.199
105/2	0.769
74/1	1.542
71/3	0.313
6/2	0.407
102/2	0.715
50/3	0.024
51/2	0.027
71/1/2	0.200
8/2	1.121
6/3	0.204

(1)	(2)	(1)	(2)
79/29/1	1.050	25	0.398
8/1	1.121	27	0.050
51/1	0.026	33	1.608
70/2	0.754	30	0.149
8/3	1.247	37	1.255
50/2	0.024	43	0.596
71/1/1	0.200	39	0.461
11/1	1.045	40	0.407
15/1	0.940	42	0.251
11/2	1.306	54/1	0.010
13	1.090	54/2	0.575
77/2	1.680	71/1/3	0.200
78	2.500	71/5	0.312
75	1.442	103/1	1.484
45	0.021	68/1	0.550
47	0.439	68/2	0.558
24/1	0.972	69/1	0.600
56/2	2.718	69/2	0.555
49	0.052	69/3	0.500
23/2	0.711	69/4	0.500
35	0.836	69/5	0.500
36	0.711	69/6	0.500
56/3	2.718	69/7	0.600
59	0.314	69/8	0.400
57	0.721	69/9	0.600
99	0.764	69/10	0.600
26	0.393	69/11	0.400
34	0.907	69/12	0.500
44	0.523	69/13	0.500
53	0.063	112/2	1.500
18/1	0.298	70/1	1.045
18/2	0.823	71/4	0.625
18/3	0.823	74/2	1.541
18/4	0.824	81/1क	0.416
58	0.324	81/2	0.415
22	0.941	81/1ख	0.415
23/1	0.637	94	0.105
56/1	2.717	95/1	0.198
46	0.073	97/2	0.282
24/2	0.961	98/2	0.387

(1)	(2)
81/3/1	0.207
81/3/2	0.208
86	0.648
88	0.606
89	0.617
108/1	0.481
102/3	0.391
91	0.523
103/3	0.357
92	0.209
93	0.554
100	1.693
95/2	0.303
97/1	0.282
98/1	0.386
95/3	0.314
97/3	0.282
98/3	0.387
101/1	1.045
101/2	1.045
101/3	1.045
101/4	1.045
101/5	0.377
105/1	0.736
106	1.735
107	2.383
109	1.296
108/2	0.052
113	2.091
112/1	1.396
112/3	0.686
112/4	0.547
79/11	0.400
79/10	0.500
79/12	0.250
79/13	0.250
79/14	0.250
79/15	0.240
79/16	0.200
79/17	0.175
79/18	0.100
7	0.784
12/1	0.754
12/2	0.232
17/1	0.306
17/2	0.582
80	0.648
85/1	0.308
85/2	0.852
योग :	97.949

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य एवं डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 28 मई 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. 7-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—सरल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.75 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
184/2	0.05
94	0.06
66/1	0.06
66/2	0.08
53/1	0.03
67/2	0.07
76	0.01
174/2	0.04
177/1	0.02
9/3	0.11
91	0.07
127/2	0.04
129	0.13
132	0.01
93	0.07
184/1	0.04
95/1	0.12
186/1	0.08
90	0.02
174/1	0.10
21/1	0.02
54	0.02
204/1	0.05
50/2	0.04
184/3	0.02
185/2	0.06
67/1	0.08
179/1	0.04
168	0.08
74	0.11
53/2	0.04
124/2	0.07
172/2	0.01
223	0.37
205/2	0.08
175/1	0.06
(1)	(2)
176/1	0.01
172/1	0.19
102	0.03
218	0.15
19/2	0.09
19/4	0.03
85/1	0.12
9/1	0.08
75	0.15
19/1	0.08
19/5	0.14
219	0.07
92	0.08
84/1	0.12
8	0.23
21/3	0.04
21/4	0.15
67/3	0.11
67/4	0.06
95/5	0.02
103	0.03
130	0.12
175/2	0.06
179/2	0.06
179/3	0.04
204/4	0.07
204/5	0.06
योग :	4.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 8-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—चिकटीखाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.11 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
69	0.09
84	0.16
85	0.35
86	0.08
55	0.13
121	0.11
118	0.19
कुल :	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 9-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—तेल्यामाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.52 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
17	0.12
18/1	0.08
18/2	0.04
20	0.13
43	0.10
44/1	0.04
117	0.01
118/1	0.03
118/7	0.05
125/1	0.09
125/2	0.10
125/3	0.04
150	0.13
151	0.18
152/2	0.09
155/1	0.03
155/2	0.10
156/1	0.04
156/2	0.06
156/3	0.06
योग :	1.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—रीछी
(घ) अर्जित रकबा—2.15 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.11
1/2	0.12
2/1	0.08
2/2	0.05
3	0.09
5	0.05
8	0.65
22/1	0.17
22/4	0.01
22/2	0.06
23	0.13
29/1	0.07
29/4	0.02
29/2	0.06
29/3	0.06
33/2	0.09
33/4	0.03
95	0.30
कुल रकबा :	2.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 25-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—पंधाना ठेका
(घ) अर्जित रकबा—0.65 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
107	0.11
117, 118	0.02
127	0.07
179/1	0.03
179/2	0.08
182/1	0.02
194/2	0.06
194/3	0.08
195/1	0.07
195/3	0.11
कुल रकबा :	0.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 26-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—बेढानी
(घ) अर्जित रकबा—3.72 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.21
1/2	0.07
2/1	0.09
21/2	0.10
22/1	0.07
23/1	0.03
23/2	0.06
23/3	0.10
23/4	0.07
30	0.02
33	0.13
40	0.43
41/1	0.20
42/2	0.11
43	0.10
47/1	0.15
47/2	0.10
48/1	0.04
48/2	0.04
48/3	0.04
48/4	0.04
48/5	0.09
59	0.04
60	0.18
62/1	0.01
62/2	0.05
63/3	0.04
64	0.15
65	0.24
72/1	0.06
72/2	0.06
72/3	0.13
72/4	0.08
73	0.06
173	0.16
174	0.06
175	0.04
176/1	0.07
कुल रकबा :	3.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 27-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—चांदेल
(घ) अर्जित रकबा—4.16 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
63/1	0.06
64/1	0.04

(1)	(2)
67/1	0.22
68	0.12
69/2	0.16
70/2	0.22
74/3	0.01
74/4	0.06
74/8	0.05
75/1	0.05
75/2	0.10
76/1	0.22
76/3	0.02
77/1	0.14
84/1	1.00
86/1	0.23
89/1	0.20
95/1	0.15
95/2	0.12
105/1	0.06
106	0.09
116	0.22
231/3	0.09
231/4	0.12
231/5	0.09
244	0.25
260	0.05
261	0.02
कुल रकबा :	4.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर, के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 28-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—पालसूद रैयत
(घ) अर्जित रकबा—2.01 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
290	0.08
291	0.07
292	0.13
306	0.09
307/2	0.15
318/1	0.37
321	0.28
332/1	0.04
332/2	0.04
332/3	0.05
332/4	0.05
333/2	0.04
333/1	0.04
333/2	0.03
333/3	0.04
333/4	0.04
348	0.14
350	0.09
353	0.18
354	0.06
कुल रकबा : 2.01	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा दिनांक 5 जून 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. 35-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पूर्व निमाड़, खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—गोदड़पुरा
(घ) अर्जित रकबा—1.14 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4/2	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की कामन वाटर केरियर मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32, बड़वाह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. 3-अ-82-2006-07-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम/नगर—लदेरा
(घ) क्षेत्रफल—1.136 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
963	0.30	0.029
979	0.72	0.23
978	0.32	0.05
974	0.11	0.020
975	0.25	0.25
970	0.45	0.10
971	0.030	0.001
976	0.420	0.109
961	3.060	0.060
467	0.210	0.187
468	0.350	0.100
	योग :	1.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध रमौआ नहर परियोजना के अंतर्गत बिलौआ डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 जून 2010

क्र. क-प्र.भू.-अर्जन-1अ-82-वर्ष 09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर

(ग) नगर/ग्राम—बखरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.45 हेक्टर.

खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
45	0.45
कुल योग :	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—बेवस नदी के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-प्र.भू.-अर्जन-2अ-82-वर्ष 09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—सागर

(ग) नगर/ग्राम—तोडातरफदार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.15 हेक्टर.

खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
971/2	0.38
973	0.77
कुल योग :	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—धसान नदी के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-प्र.भू.-अर्जन-3अ-82-वर्ष 09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—सागर

(ग) नगर/ग्राम—रमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.40 हेक्टर.

खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
142/2	0.40
कुल योग :	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—बेवस नदी के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम दिनांक 8 जून 2010

क्र. 2597-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 25-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—बाजना

(ग) ग्राम—मकनपुरा, ईमलीपाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.92 हेक्टर.

खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम का नाम—मकनपुरा	
64	0.20
66	0.41
67	0.48
68	1.13
72	1.18
78	0.54
79	0.20
80	0.84
84	1.60
86	0.25
87	0.69
88	0.75
89	0.68
93	0.40
94	0.37
95	0.98
96	0.72
98	0.65
99	0.27
100	0.50
102	0.91
103	0.40
104	0.24
105	0.50
106	0.08
107	0.02
108	0.19
109	0.29
116	0.67
117	0.20
118	0.35
119	0.13
120	0.16
ग्राम-ईमलीपाड़ा	
83	0.15
84	0.24
85	0.15
94	0.20
(1)	(2)
284	0.20
	महायोग : 17.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मकनपुरा तालाबा के निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 जून 2010

क्र. 4828-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है, इस संबंध में अधिनियम की धारा 17 (1) एवं 17(4) के उपबन्ध लागू होते हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम सतनूर, प. ह. नं. 23, ब. नं. 376, रा. नि. मंडल-सौंसर
(घ) अर्जित किये—11.603 हेक्टर एवं प्रस्तावित

जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
(1)	(2)	(3)
143/1	0.251	-
142/1	1.024	एक पक्का कुंआ वि. पम्प
142/4	0.377	
142/6	0.031	एक पक्का मकान

(1)	(2)	(3)
142/3	0.301	
142/5	0.320	
130	0.012	
129/2	0.203	
129/1	0.812	1 पक्का मकान एवं 1 पक्का कुंआ
128/1	0.017	
292/1	0.090	
290/3	0.445	1 पक्का कुआ एवं 1 बोर, एवं 4 आम वृक्ष
298/1	1.028	
298/2	0.081	1 पक्का मकान
296	1.194	1 कुआ कच्चा
295	0.001	
300	0.345	1 पक्का कुआ
299/1	0.519	1 पक्का मकान, एक पक्का कुआ नीबू वृक्ष-2, जामुन वृक्ष-1
299/4	0.006	1 पक्का मकान
301	0.429	
299/2	0.293	1 पक्का मकान, 1 पक्का कुआ वि. पम्प, 163 सागौन वृक्ष
299/3	0.011	1 पक्का मकान
302	0.425	
305/1	0.081	
305/2	0.161	
305/3	0.025	
303/1	0.071	
303/3	0.081	1 पक्का मकान, 1 पक्का कुआ
303/4	0.006	
303/2	0.008	
303/5	0.138	
304	0.156	1 पक्का कुआ एवं 1 जाम वृक्ष
132/1	02.299	1 पक्का कुआ, 4 आम वृक्ष, एवं 1 बांस का झुण्ड
132/2	0.018	1 पक्का मकान
297	0.344	1 आम वृक्ष
योग :	11.603	9 पक्के मकान, 9 पक्के कुआ एवं 1 कच्चा कुआ, 1 बोर, एवं 176 वृक्ष तथा 1 बांस का झुण्ड.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के लिये एकीकृत जांच चौकी (चैक पोस्ट बेरियर) निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, उप महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम-छिन्दवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 7 जून 2010

क्र. 867-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अन्जड़
(ग) ग्राम—उमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.948 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे.)
(1)	(2)
6/4, 8/2, 8/5	0.154
8/3, 8/4, 9, 10/2, 10/3,10/4	1.343
35/3,37/1	0.785
35/5, 39ग	0.048
37/2, 38/2	0.551
35/5, 39घ	0.538
35/6, 39छ	0.052
43/2क	0.443
43/2ख	0.259
43/3	0.308

(1)	(2)
43/4, 49/6	0.327
43/5, 43/6	0.518
43/10, 49/16	0.457
49/4, 50/3	0.923
49/5	0.607
49/8	0.445
49/9	0.546
49/14	0.146
49/18	0.016
56, 63/2, 63/3	0.833
58, 60/5, 60/6	0.902
59/1, 59/6, 60/4	1.327
60/2	0.041
60/12	0.316
61/1	0.142
61/2, 65/5	0.008
80/1, 81/2, 81/3, 82	1.627
83/2, 83/3	1.238
83/6	0.048
	कुल : 14.948

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 868-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 12-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अन्जड़
(ग) ग्राम—भमोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.874 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे.)
(1)	(2)
141/2, 144/1	1.343
143/1	1.344
143/2	0.267
143/3/1	0.469
143/3/2	0.478
143/4/1	0.469
143/4/2	0.421
143/5	0.101
143/9	0.219
143/11	0.607
145/1	0.024
145/2	0.259
145/3	0.364
145/4	0.454
146/1	0.223
189/2	0.332
189/3/1	0.295
189/3/2	0.323
189/4	0.048
190	0.890
192/1	0.085
192/2	0.230
196/1	2.257
196/2	1.708
196/3	0.526
197	0.425
198/3/1	0.210
218/1	0.235
218/2	1.077
218/3	1.073
219/4	0.142
219/6	0.606
217/3, 227/2	0.300
220	0.113
226	0.295
236	0.202
198/2	0.202
237/1	0.008
237/2	0.761
239/4, 240/2, 241, 242/2	0.020
239/5	0.332
240/3	0.137
	योग : 19.874

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 9 जून 2010

क्र. 872-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 14-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—मंदिल
(घ) क्षेत्रफल—6.238 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
28/5	0.162
29	0.745
44/2	0.166
44/3	2.348
44/4	0.186
44/5	0.283
115/3	0.263
115/4	0.178
115/5	0142
115/6	0.170
120/1	0.340
120/2	0.340
120/5	0.315
120/6	0.600
योग	: 6.238

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 15 जून 2010

क्र. 916-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 13-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अन्जड़
(ग) ग्राम—बिलवा रोड
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.363 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
57/1	0.057
57/2	0.437
57/3	0.635
58/1	0.749
58/3	0.021
59/2, 59/3	0.907
59/1, 61/3	0.882
75/1	0.749
75/5	0.089
81/1	0.040
81/3	0.141
81/4	0.445
79/2, 82/2ख	0.370
79/7, 82/6	0.020
79/10, 82/2च	0.500
79/11, 82/2छ	0.321
योग	: 6.363

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 917-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 11-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—साली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.404 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2/1, 2/2, 3	1.841
4	0.947
7/3	0.461
7/4	0.073
7/5	0.032
8/1, 9/1	0.700
8/2	0.502
10/2	0.445
10/3	0.696
11/1, 16/2	0.044
16/4, 17/1	0.384
18/1, 18/2ख	0.271
19/1	0.437
19/2	0.437
18/2क, 19/3	0.688
19/4	0.219
19/5	0.048
22/2	1.117
43/1	0.020
43/2	0.162
43/3	0.008
57/2, 58, 59/2	1.064
57/5	0.089
65, 125/2	0.323
75/2, 75/5, 76/5	0.591
75/3, 76/4	0.955
76/6	0.020
77/1	0.547
77/2	1.133
77/3	1.214
78/1	2.044
80/1	0.020
80/2	0.910
123/1	0.024
123/2	0.146
123/3	0.494
123/5	0.267
123/6	0.275
125/1	1.323
125/3	0.308
127/1	0.842
127/2	0.200
127/4	0.083
योग :	22.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 11 जून 2010

प्र. क्र. 6732-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी

(ग) ग्राम—अमगवां, पटवारी हल्का
नं. 60, ज. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.050 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
885/2 जु.	0.030
1023/3क	0.020
योग :	0.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 6734.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—लहरपुर मुर्रा, पटवारी हल्का नं. 62, ज. नं. 915
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.890 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
42	0.202
45	0.069
108/2क	0.049
108/2ग	0.049
132/2/2	0.04
132/2/3	0.016
208/1	0.223
208/2	0.223
209/2	2.25
221/3ख	0.95
270जु.	0.6
77/1	0.057
77/2	0.053
77/3	0.109
योग :	4.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 6737.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—गुवारी, पटवारी हल्का नं. 60, ज. नं. 231
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.681 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
160/2 जु.	0.997
329/1ख	0.45
329/2	0.405
311	1.239
313/1	0.316
313/2	0.089
313/3	0.142
313/4	0.097
313/5	0.081
313/6	0.109
302/1	1.378
302	1.378
योग :	6.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 6738.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर
(ख) तहसील—जैतहरी
(ग) ग्राम—जैतहरी, पटवारी हल्का नं. 68, ज. नं. 362
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.855 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
155/1	0.385
155/2	0.380
156	0.267
159/1	0.276
159/2	0.275
158/1	0.405
158/2	0.304
157	0.344
2407/2क	0.614
2407/3क	0.605
योग :	3.855

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—विद्युत् उत्पादन एवं टाउनशिप निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 15 जून 2010

क्र.1013-भू-अर्जन-ओ.एस.पी-09-2010-**संशोधित.**—कार्यालय पत्र क्रमांक 575-वाचक-पृ.क्र. 39-अ-82-2008-09, धार, दिनांक 21 अप्रैल 2010, ग्राम गणपुर, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 15.063 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 874, 875 पर दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमश: अग्निबाण, दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में तथा अवन्तिका दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नं. 12143-10 जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

ग्राम गणपुर

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(1)	(2)
103/2	0.215	103/2/1	0.065
		103/2/2	0.150
176/1क	0.400	176/1ग	0.400
83	0.060	83/2	0.060
178/3/1	0.100	178/3/3	0.100
121/2	0.009	121/2	0.000 (विलोपित)

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

धार, दिनांक 15 जून 2010

क्र.1011-वाचक-प्र.क्र. 70-अ-82-2008-2009-**संशोधित**-कार्यालय पत्र क्रमांक 608-वाचक-प्र.क्र. 70-अ-82-2008-09, धार, दिनांक 21 अप्रैल 2010, ग्राम कुण्डी, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 2.80 हे. के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जारी उद्घोषणा के प्रयोजन ओंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक, पृष्ठ क्रमांक 875 पर दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में तथा दो समाचार पत्रों क्रमश: अग्निबाण, दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में तथा अवन्तिका दिनांक 30 अप्रैल 2010 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नं. 12142-10 जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—कुण्डी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.250 हेक्टर.

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
9/1	0.415	9/1	0.520
11	0.700	11	0.780
		9/2/2	0.160
		22/2/2 21/2/2	0.105

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.